

धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं की सूचना का मैनुअल

## उत्तर प्रदेश पुलिस जनपद—फिरोजाबाद

जनपद फिरोजाबाद के क्षेत्राधिकारी एंव थानो के नाम एंव नम्बर

|   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| क्षेत्राधिकारी<br>नगर<br>9454401253     | थाना उत्तर          | 9454403363 |
|   | थाना दक्षिण         | 9454403364 |
|   | थाना रामगढ़         | 9454403374 |
|   | थाना रसूलपुर        | 9454403375 |
| क्षेत्राधिकारी<br>टूण्डला<br>9454401255 | थाना टूण्डला        | 9454403379 |
|   | थाना नारखी          | 9454403369 |
|   | थाना पचोखरा         | 9454403373 |
|   | थाना नगला सिंधी     | 9454403371 |
| क्षेत्राधिकारी<br>जसराना<br>9454401257  | थाना जसराना         | 9454403365 |
|   | थाना एका            | 9454403361 |
|   | थाना फरिहा          | 9454403362 |
| क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद<br>9454401256  | थाना शिकोहाबाद      | 9454403377 |
|   | थाना खैरगढ़         | 9454403366 |
|   | थाना मक्खनपुर       | 9454403368 |
| क्षेत्राधिकारी<br>सदर                   | मटसैना              | 9454403376 |
|   | थाना बसई मौहम्मदपुर | 9454403360 |

|  |                |            |
|--|----------------|------------|
| 9454401254                               | थाना लाइनपार   | 9454403367 |
|  | महिला थाना     | 9454404763 |
| क्षेत्राधिकारी<br>सिरसागंज<br>9454458202 | थाना नगला खगंर | 9454403370 |
|  | थाना नसीरपुर   | 9454403372 |
|  | थाना सिरसागंगज | 9454403378 |

## सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत वेबसाईट में प्रकाषणार्थ 17 विन्दु

1. अपने संगठन/संस्था/कार्यालय का व्यौरा, उसके कार्य और कर्तव्य।
2. उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और जिम्मेदारियां।
3. फैसले लेने की प्रक्रिया और पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही।
4. कार्य का निर्वहन करने के लिये बनाये गये मानदंड।
5. कार्यों को पूरा करने के लिये कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकार्ड।
6. उसके अधीन रखे हुए दस्तावेजों का वर्गीकरण।
7. ऐसी किसी भी व्यवस्था की मौजूदगी का पूरा व्यौरा, जो नीतियां बनाने और उन्हे लागू करने के लिये जनता के प्रतिनिधियों की राय लेने के बारे में या समाज के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में हो।
8. संगठन/संस्था/कार्यालय द्वारा गठित ऐसे बोर्ड, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण की घोषणा, जिसमें दो या उससे ज्यादा व्यक्ति हैं। साथ ही यह सूचना कि इनकी बैठकें जनता के लिए खुली हुई हैं या नहीं इनकी बैठकों में हुई कार्यवाही का व्यौरा जनता को दिया जा सकता है या नहीं।
9. अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम—पते और फोन नम्बर की निर्देशिका।

10. अधिकारियों और कर्मचारियों में से हर एक को मिलने वाला मासिक वेतन और नियमों के मुताबिक मिलने वाली प्रतिपूर्ति रकम की प्रणली।
11. सभी योजनाओं पर होने वाला प्रस्तावित खर्च, योजनाओं के लिये दिया जा चुका धन और काम करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों को आवंटित बजट।
12. सवसिडी योजनाओं को पूरा करने की प्रणाली, उनके लिए खर्च की जाने वाली रकम और इन कार्यक्रमों का लाभ लेने वालों का ब्यौरा।
13. रियायतें, परमिट और अधिकार पत्र पाने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा।
14. इलेक्ट्रानिक रूप में रखी गयी सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरा।
15. सूचना हासिल करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी और सार्वजनिक उपयोग के लिये बनाये गये किसी पुस्तकालय या वाचनालय के कामकाज के घंटों की जानकारी।
16. जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य ब्यौरा।
17. ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जायें, और तदनुसार इन प्रकाषनों को प्रत्येक वर्ष अपडेट करेगा।

## सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 जनपद— फिरोजाबाद।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) बी के अनुसार जनपद अम्बेडकरनगर के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाषित की जाती है।

### 1— पुलिस अधीक्षक कार्यालय का गठन:-

पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थाई भवन में कार्यरत है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत 05 सर्किल है, जिसमें 05 कोतवाली 15 थाने एवं एक महिला थाना है, इस प्रकार कुल 05 सर्किल व 16 थाने पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

### 1.1 जनपद में पुलिस का संगठन

जनपद पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है।

### 1.2 जनपद में स्थित विभिन्न ईकाईयों के कार्यों का पर्यवेक्षण अधिकारी ।

| क्र0 सं0 | ईकाई का नाम           | पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 1        | वायरलेस शाखा          | क्षेत्राधिकारी नगर        |
| 2        | स्थानीय अभिसूचना इकाई | क्षेत्राधिकारी नगर        |
| 3        | फायर सर्विस           | क्षेत्राधिकारी नगर        |
| 4        | यातायात पुलिस         | क्षेत्राधिकारी नगर        |
| 5        | पुलिस लाइन्स          | क्षेत्राधिकारी सदर        |

|    |                            |                      |
|----|----------------------------|----------------------|
| 6  | भवन                        | क्षेत्राधिकारी सदर   |
| 7  | पत्र व्यवहार शाखा          | क्षेत्राधिकारी सदर   |
| 8  | आंकिक शाखा                 | क्षेत्राधिकारी सदर   |
| 9  | विषेष जांच प्रकोष्ठ        | क्षेत्राधिकारी सदर   |
| 10 | महिला सहायता प्रकोष्ठ      | क्षेत्राधिकारी सदर   |
| 11 | डी0सी0आर0बी0               | क्षेत्राधिकारी सदर   |
| 12 | रिट सैल                    | क्षेत्राधिकारी सदर   |
| 13 | सम्मन सेल                  | क्षेत्राधिकारी सदर   |
| 14 | एस0आई0एस0                  | क्षेत्राधिकारी क्रइम |
| 15 | शिकायत प्रकोष्ठ            | क्षेत्राधिकारी सदर   |
| 16 | जनसूचना सैल                | एएसपी ग्रामीण        |
| 17 | व्यापारी सहायता प्रकोष्ठ   | क्षेत्राधिकारी सदर   |
| 18 | आशा ज्योति केन्द्र ( 181 ) | क्षेत्राधिकारी नगर   |
| 19 | आईजीआरएस                   | एएसपी ग्रामीण        |

## **2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य**

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द0प्र0स0ं अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों / कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं

| धारा | अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य   |
|------|---|
| 7    | आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो किअपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।   |
| 17   | विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।  |
| 22   | पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ माने जाते हैं ।  |
| 23   | प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सभी आदेशों का पालन व निष्पादन करे, लोक-शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संगंग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करे; अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा। |

|     |  |
|-----|--|
| 25  | लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेगा।  |
| 30  | लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।   |
| 30क | उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति।  |
| 31  | सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य।   |
| 34  | किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले ले। |
| 34क | उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।  |
| 47  | ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व।  |

## 2.2 पुलिस रेगुलेशन

| प्रस्तर                | कर्तव्य  |
|------------------------|--|
| 12 से 16 पुलिस अधीक्षक | पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं, वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठंगे उन्हे स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक सूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होगे तदनुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हे विर्तिदिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन कानिरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है। |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेटं आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपें जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।   |
| 17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक | सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।   |
| 18 से 23<br>प्रतिसार<br>निरीक्षक     | प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।  |
| 24 रिजर्व<br>सबइंस्पेक्टर            | रिजर्व सब इन्स्पेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवयक कार्य को करते हैं।   |
| 40 से 43<br>सर्किल<br>इंस्पेक्टर     | सर्किल इंस्पेक्टर के कर्तव्यों के संबंध में उल्लेख है, जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जांच पड़ताल की देख—भाल और अपराध का निवारण करना, पुलिस क्षेत्र में निवारक और अनुवेषण कार्यों में सामन्जस्य रखना, थानों का निरीक्षण करना, सभी महत्वपूर्ण विषयों घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गदर्शन करना, स्वयं अन्वेषण करना, क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाइसेन्सी दुकानों का निरीक्षण करना, अधिनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना, अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना। (वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर का |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | पद विभाग में नहीं है, इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता है।)  |
| 43 से 50<br>थानाध्यक्ष | थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्टरों अभिलेखों विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कांस्टेबिल थाने का भारसाधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफ्तीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म न0 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे। |
| 51 द्वितीय अफसर        | थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना, अन्वेषण करना होता है।  |
| 55<br>हेड मोहर्रिर     | हेड मोहर्रिर के कर्तव्य<br>i) रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना।<br>ii) हिन्दी रोकड़ बही (पुलिस फार्म न0 224)<br>iii) यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दें तो धारा 174 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।   |
| 61 से 64<br>बीट आरक्षी | कान्स0 नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रतापूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी ड्यूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स0 के रूप में संदिग्ध  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | अपराधियों फरार अपराधी तथा खानाबदेश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।  |
| 65 से 69<br>सशस्त्र पुलिस | सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना दायित्व है। |
| 79 से 83<br>घुड़सवार      | घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया जाता है।  |
| 89 से 96<br>चौकीदार       | ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।                     |

### 2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

| द.प्र.सं. की धारा | अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य   |
|-------------------|---|
| 36                | पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।  |
| 41                | बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियाँ<br>1. संज्ञेय अपराध की दशा में।<br>2. कब्जे से गृह भेदन का उपकरण<br>3. उद्घोषित अपराधी<br>4. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना।<br>5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा<br>6. सशस्त्र बलों का भगोड़ा।<br>7. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध। |

|     |   |
|-----|---|
|     | 8. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर।<br>9. वांछित अपराधी।  |
| 42  | नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफतारी।  |
| 47  | उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफतारी की जानी है।                                       |
| 48  | गिरफतार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफतार करने की शक्ति।                                   |
| 49  | गिरफतार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। |
| 50  | गिरफतार किये गये व्यक्ति को गिरफतारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।                                 |
| 51  | गिरफतार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।   |
| 52  | गिरफतार किये गये व्यक्ति से अकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।   |
| 53  | पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।             |
| 54  | गिरफतार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।  |
| 56  | गिरफतार किये गये व्यक्ति को अनावयक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।                        |
| 57  | गिरफतार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।                                       |
| 58  | बिना वारण्ट गिरफतारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।  |
| 60  | अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफतार करने की शक्ति।                                       |
| 100 | बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे।                      |
| 102 | ऐसे वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो।                               |
| 129 | उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति।                 |
| 130 | ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।   |
| 131 | जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति।  |
| 132 | धारा 129, 130, 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।                        |
| 149 | प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का   |

|     |  |
|-----|--|
|     | निवारण करेगा।  |
| 150 | संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।  |
| 151 | उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।   |
| 152 | लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।   |
| 153 | खोटे बॉट मापों का निरीक्षण / अधिग्रहण।   |
| 154 | संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भारसाधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है। |
| 155 | असंज्ञेय मामलों में थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्टि करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।  |
| 156 | संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।   |
| 160 | अन्वेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।   |
| 161 | पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति।  |
| 165 | अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो तलाशी एवं जप्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।  |
| 166 | अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।  |
| 167 | जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।  |
| 169 | साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।  |
| 170 | जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।   |
| 172 | अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।  |
| 173 | अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।   |
| 174 | आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।   |
| 175 | धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रयोजन से व्यक्तियों को शमन करने की शक्ति।   |
| 176 | पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।  |

## 2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देश

### 2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी०के० बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय में गिरफतारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं।

1. गिरफतारी के समय गिरफतारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए। गिरफतारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।
  2. गिरफतारी की फर्द गिरफतारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभान्त व्यक्ति अथवा गिरफतार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफतार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निःशुल्क दीजायेगी।
  3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफतारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।
  4. गिरफतार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
  5. गिरफतार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफतारी के संबंध में सूचित करने वह अधिकृत है।
  6. गिरफतारी की सचू ना को थाने के गिरफतारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
  7. गिरफतार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
  8. गिरफतार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
  9. गिरफतारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।
  10. जांच काल में गिरफतार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
  11. गिरफतारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।
- 2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व
- पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के परिपत्र संख्या 35 / 2005 दिनांक 9 जुलाई, के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।
- 2.5.1 कर्तव्य

### 2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही संबंधी:-

1. संगठित अपराधियों तथा भाड़े पर हत्या, फिराती हेतु अपहरण, रोडहोल्डअप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग

एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्संबंधी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।

2. पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
3. संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. संगठित अपराधियों की गिरफतारी होने पर विस्तृत पूछ-ताछ आख्या तैयार करना।

#### 2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी संबंधी:-

1. सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गिरफतारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।

2. फण्ड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

#### 2.5.1.3 अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण:-

1. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।

2. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।

3. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।

4. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रीकरण।

#### 2.5.1.4 विशेष अपराधों के संबंध में:-

1. समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।

2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।

3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस0आर0 केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिरौती, अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैंगेस्टर एकट के केसों को छोड़कर शेष समस्त एस0आर0 केस की कमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

य-क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

र-फिक्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।

ल-क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रूम करना।

#### 2.5.1.5 अभियोजन

न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिंग की मासिक बैठक तथा सेषन ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।

#### 2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकार

##### 2.5.2.1 स्थानान्तरण संबंधी —

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एक-252-84 दिनांक: 08-01-1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु सं0 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के संबंध में की जायेगी।

2.5.2.2 वार्षिक मन्तव्य—शासनादेश संख्या: 1460 / छ:—पु—1—99—51 / 99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अंकन करना।

##### 2.5.2.3. दण्ड सम्बन्धी—

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच करायी जा सकती है परन्तु जांच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली खुलवाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

## **2.6 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय—समय पर अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तिया तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्य—**

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय—समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय—समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा—निर्देश न प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

### **1. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर**

#### **3.1 अनुसंधान / विवेचना**

| क्र0<br>सं0 | कार्यवाही                                       | कार्य स्तर  | अवधि      |
|-------------|---|---|-----------|
| 1           | प्र०सू०रि० का पंजीकरण                           | 154 द०प्र०सं० के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दीजायेगी। भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है। | अविलम्ब   |
| 2           | साक्षियों का परीक्षण                            | 161 द०प्र०सं० के अनुसार   | यथाशीघ्र  |
| 3           | अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण            | द०प्र०सं० के अनुसार   | यथाशीघ्र  |
| 4           | पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण | विशेष अपराधों की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।  | यथाशीघ्र  |
| 5           | साक्ष्य का संकलन                                | द०प्र०सं० के अनुसार   | कार्यवाही |

|           |  |                     | यथाशीघ्र        |
|-----------|--|---------------------|-----------------|
| <b>6</b>  | नवशानजरी तैयार करना                              | द0प्र0सं0 के अनुसार | निरीक्षण के समय |
| <b>7</b>  | अभियुक्तों की गिरफतारी                           | द0प्र0सं0 के अनुसार | „               |
| <b>8</b>  | संस्वीकृति का लिखा जाना                          | „                   | „               |
| <b>9</b>  | पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना | „                   | „               |
| <b>10</b> | तलाशी  | „                   | „               |
| <b>11</b> | निरुद्धि   | „                   | „               |
| <b>12</b> | अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना                 | „                   | „               |
| <b>13</b> | आरोप पत्र का दाखिल करना                          | „                   | „               |

### 3.2 नियन्त्रण कक्ष

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संग त समस्यों की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय आपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

| क्र0 सं0 | नियन्त्रण कक्ष      | टेलीफोन नं0                     | कार्य   |
|----------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1        | जिला नियन्त्रण कक्ष | 9454417437<br>0512285014        | जनपद के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित को तत्काल अवगत कराया जाता है।      |
| 2        | नगर नियन्त्रण कक्ष  | 100<br>9454403380<br>0512285197 | नगर नियन्त्रण कक्ष में 02 पेट्रोलकार विराट मोवाईल व थानों में कोवरा वाईक विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित है |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | जो किसी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर स्थिति को नियन्त्रित करते हैं |
|--|--|--|---|

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लाग किया जाता है तथा संबंधित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है। वर्षाकाल में बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की भी स्थापना आवश्यकतानुसार की जाती है।

### 3.3 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

#### 3.3.1 थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

| क्र०सं० | कार्य   | किसके द्वारा कार्यवाही होगी                          | किसके द्वारा कार्यवाही होगी |
|---------|---|--|-----------------------------|
| 1       | थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना              | थानाध्यक्ष / दिवसाधिकारी / उपस्थित कां० कलर्क द्वारा | तत्काल                      |
| 2       | प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना              | दिवसाधिकारी / उपस्थित कां० कलर्क द्वारा              | अविलंब                      |
| 3       | प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना                               | उपस्थित कां० कलर्क द्वारा                            | अविलंब                      |
| 4       | जांच अधिकारी नियुक्त करना व जांच हेतु सौंपना                                    | थाना प्रभारी द्वारा                                  | 1 दिवस                      |
| 5       | जांच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना | जांच अधिकारी द्वारा                                  | 15 दिवस में                 |
| 6       | थानाध्यक्ष द्वारा जांच की समीक्षा करना  | थानाध्यक्ष द्वारा                                    | 1 दिवस                      |
| 7       | जांच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही, यदि आवश्यक हो, कराना।                        | थानाध्यक्ष द्वारा                                    | अविलंब                      |

|   |                        |                            |         |
|---|------------------------|----------------------------|---------|
| 8 | जाँच रिपोर्ट का रखरखाव | सम्बन्धितकां0 कलर्क द्वारा | 01 वर्ष |
|---|------------------------|----------------------------|---------|

### 3.3.2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

| क्र0<br>सं0 | कार्य  | किसके द्वारा कार्यवाही होगी                                | कार्यवाही की समयावधि |
|-------------|--|--|----------------------|
| 1           | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना  | सम्बन्धित लिपिक द्वारा                                     | अविलम्ब              |
| 2           | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना                                | निमित्त राजपत्रित अधिकारी (क्षेत्राधिकारी मुख्यालय) द्वारा | 1 दिवस               |
| 3           | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना  | निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा                           | 1 दिवस               |
| 4           | प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना  | सम्बन्धित लिपिक द्वारा                                     | अविलम्ब              |
| 5           | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना     | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा                            | 2 दिवस               |
| 6           | क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां0 कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना  | क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां0 कलर्क द्वारा               | अविलम्ब              |
| 7           | सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच करना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक / बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना | थानाध्यक्ष द्वारा  | 2 दिवस               |
| 8           | जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर  | जाँच अधिकारी द्वारा  | 15 दिवस में          |

|    |  |  |            |
|----|--|--|------------|
|    | जाकर जाँच करना व आवयक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना  |  |            |
| 9  | थानाध्यक्ष द्वारा जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना    | थानाध्यक्ष द्वारा                            | अविलम्ब    |
| 10 | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच सही पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट को दाखिल दफतर किया जाना | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा              | अविलम्ब    |
| 11 | जाँच रिपोर्ट का रखरखाव   | क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा | 02 वर्ष तक |

3.3.3 पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया :-

| क्र० सं० | कार्य  | किसके द्वारा कार्यवाही होगी                               | कार्यवाही की समयावधि |
|----------|--|---|----------------------|
| 1        | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जाँच हेतु आदेशित करना | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा                               | 1 दिवस               |
| 2        | प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व संबंधित को जांच हेतु प्रेषित करना  | सम्बन्धित लिपिक द्वारा                                    | अविलम्ब              |
| 3        | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना               | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष द्वारा              | 07 दिवस में          |
| 4        | क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना   | क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा | अविलम्ब              |

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| 5 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित करना | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा                                  | 2 दिवस     |
| 6 | जांच रिपोर्ट का रखरखाव  | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा | 02 वर्ष तक |

### 3.3.4 थाना पंचायत दिवस में थाना स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया

(उ0प्र0 के शासन के पत्र संख्या 2021पी/छ:-पू-3/2005 दिनांक 21.06.2005 गृह पुलिस अनुभाग-3 के अनुसार थाना पंचायत दिवस में प्राप्त जन समस्याओं के निस्तरण की प्रक्रिया)

जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासन द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिकारियों से मिलने के समय केवल पीडित पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करता है परन्तु उसकी समस्या का समाधान तबतक सम्भव नहीं हो सकता है, जब तक कि दोनों पक्षों को एक साथ बुलाकर उनका पक्ष जानकर साम, दण्ड, भेद की नीति पंचायती तरीके से सुलझाने का प्रयास न किया जाये। इसके लिए थाना सर्वाधिक उपयुक्त स्थल हो सकता है क्योंकि अधिकांश समस्याये भूमि विवाद, सरकष व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा तथा जोर जबरदस्ती से सम्बन्धित होती है।

1. थाना स्तर पर उभय पक्ष तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थित में पक्षकरों की एक साथ सुनवाई कर पंचायती तरीके से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निदान सम्भव हो सकता है।
2. थाना स्तर पर जन समान्य के प्रति सम्वेदनशीलता का अभाव होने और लोगों के मन में थाना जाने के प्रति भय की भवना विद्यमान होने के कारण यह आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्यवाही के दिन प्रत्येक थाने पर एक राजप्रत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर थानाध्यक्ष व पुलिस के विरुद्ध भी यदि कोई घिकायत प्राप्त होती है तो उक्त अधिकारी उसका संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। इससे लोगों का थाने पर जाने में संकोच हटेगा तथा उसने थाना जाने के प्रति व्याप्त भय की भावना भी समाप्त होगी और थाने में प्रभुत्व एवं अधिकारिता के माहौल में पंचायती ढंग से समस्याओं को निपटाने का प्रयास अपेक्षाकृत अधिक परिणामदायक हो सकता है।
3. इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु थाना पंचायत दिवस का आयोजन कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही सुनिष्चितकी जाये:-
  - i. प्रत्येक शानिवार को थाना पंचायत दिवस का आयोजन प्रातः 10 बजे किया जाय और उस दिन समस्त राजस्व एवं पुलिसकर्मी थाने पर उपस्थित रहेंगे।

ii. थाना पंचायत दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर नेतृत्व प्रदान करने हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का एक रोस्टर बनाया जाय जो प्रत्येक ट्रैमास बदला जाया करेगा।

iii. थाना पंचायत दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायतों में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में उनका पक्ष जानकर आपसी सहमति से समस्या का निराकरण किया जायेगा। ऐसे निस्तारित प्रत्येक मामले का इन्द्राज जी0डी0 में किया जायेगा, ताकि भविष्य में इसी सम्बन्ध में पुनः षिकायत का अवसर उत्पन्न होनेपर उक्त इन्द्राज के आधार पवर बैधानिक कार्यवाही करना सम्भव हो सके।

iv. जिन मामलों में मौका मुवायना की आवश्यकता हो, उसमें 12.00 बजे के बाद पुलिस व राजस्व कर्मियों की टीमें गठित कर मौके पर भेजी जायेगी। महत्वपूर्ण प्रकरणों में थानाध्यक्ष, तहसीलदार, उप जिला मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी की टीम मौके पर जायेगी और मौका निरीक्षण कर उभयपक्ष कीन आपसी सहमति से समस्या का निराकरण करेंगे।

v. थाना पंचायत दिवस में प्रधानों की भी उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये। इससे समस्याओं के निराकरण में सुविधा रहेगी।

vi. थाना पंचायत दिवस का पूरा लाभ जनसामान्य को मिल सके, इसके लिये सभी सम्भव उपायों द्वारा इसका व्यापक प्रचार—प्रसार कराया जाय।

vii. इस सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त के स्तर पर की जायेगी। उनके द्वारा शासन को भी प्रति माह अवगत कराया जायेगा।

### 3.3.5 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना

| क्रसं | अपराध का विवरण                                     | धारा     | अधिकतम जुर्माना व सजा                           |
|-------|--|----------|---|
| 1     | मोटर चालक द्वारा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना          | 3 / 181  | 250—500   |
| 2     | किसी अवयस्क द्वारा मोटर गाड़ी चलाना या उससे चलवाना | 4 / 181  | 500 व 3 माह का कारावास व दोनों                  |
| 3     | बिना लाइसेंस गाड़ी चलवाना                          | 5 / 181  | 1000 व 3 माह कारावास या दोनों                   |
| 4     | बिना पंजीकरण गाड़ी को चलाना                        | 39 / 192 | 2000—3000 जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों |

|    |   |           |  |
|----|---|-----------|--|
| 5  | बिना फिटनेस कराये गाड़ी चलाना   | 56 / 192  | 2000–3000 या 6 माह का कारावास या दोनों |
| 6  | परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना परमिट गाड़ी चलाना             | 66 / 192  | 2000–3000 या 6 माह कारावास या दोनों    |
| 7  | गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना  | 112 / 183 | 400–1000                               |
| 8  | एक दिशा मार्गों के नियमों का उल्लंघन करना                             | 115 / 194 | 1000–2000                              |
| 9  | वैधानिक प्रतिबन्धों का उल्लंघन करना या यातायात नियमों का उल्लंघन करना | 115 / 194 | 1000–2000                              |
| 10 | शांति क्षेत्र में आज्ञाओं का उल्लंघन करना (वर्जित क्षेत्र)            | 115 / 194 | 1000–2000                              |
| 11 | प्रतिबन्धित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करना                               | 115 / 194 | 1000–2000                              |

|    |   |           |         |
|----|---|-----------|---------|
| 12 | बिना किसी संकेत के स्टेयरिंग का बायी तरफ होना           | 120 / 177 | 100–300 |
| 13 | यातायात चिन्हों का पालन न करना                          | 119 / 177 | 100–300 |
| 14 | बिना संकेत के गाड़ी चलाना                               | 121 / 177 | 100–300 |
| 15 | खतरनाक दशा में गाड़ी खड़ी करना जिससे यातायात बाधित हो   | 122 / 177 | 100–300 |
| 16 | गाड़ी की छत बोनट पायदान पर बैठकर यात्रा करना या ले जाना | 123 / 177 | 100–300 |
| 17 | बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना                   | 124 / 178 | 200–300 |
| 18 | किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठाना            | 128 / 177 | 150–300 |
| 19 | बिना हेल्मेट के दुपहिया वाहन चलाना                      | 129 / 177 | 150–300 |
| 20 | किसी मोटर चालक से लाइसेंस व गाड़ी के कागज               | 130 / 177 | 150–300 |

|    |   |           |                                 |
|----|---|-----------|---------------------------------|
|    | मांगने पर पेश न करना  |           |                                 |
| 21 | किसी कन्डेक्टर के द्वारा उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पेश न कर पाना | 130 / 177 | 150–300                         |
| 22 | किसी टैक्सी या तिपहिया टैम्पो द्वारा सवारी ले जाने से इन्कार करना       | 178(3)    | 50–200                          |
| 23 | पुलिस अधिकारी द्वारा गाड़ी रोकने पर                                     | 132 / 179 | 250–500                         |
| 24 | स्टाप लाइन का उल्लंघन   | 17 / 177  | 100–300                         |
| 25 | दोषपूर्ण नम्बर प्लेट का वाहन में लगा होना                               | 16 / 177  | 100–300                         |
| 26 | अधिक धुओं वाहन से निकलना  | 190(2)    | 1000–2000                       |
| 27 | बिना इन्श्योरेंस के वाहन चलाना  | 146 / 196 | 100 व 3 माह का कारावास या दोनों |
| 28 | भार वाहन में पशुओं को ले जाना   | 59 / 177  | 150–300                         |
| 29 | भार वाहन में अधिक यात्री बैठाकर चलाना                                   | 46 / 177  | 150–300                         |

|    |  |           |                                      |
|----|--|-----------|--------------------------------------|
| 30 | पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन         | 119 / 177 | 300–500                              |
| 31 | बांये से गाड़ी को ओवरटेक करना                    | 110 / 177 | 100–300                              |
| 32 | वेतहाशा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना              | 184 / 202 | 1000–2000 2 वर्ष कारावास या दोनों    |
| 33 | शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करके       | 185 / 202 | 1000–2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों |
| 34 | मालिक की बिना अनुमति के गाड़ी ले जाना अथवा चलाना | 197 / 202 | 1000–2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों |
| 35 | चालक द्वारा अपने दाहिने बैठाकर वाहन चलाना        | 125 / 177 | 100–300                              |
| 36 | गाड़ी के रनिंग बोर्ड में                         | 123 / 177 | 100–300                              |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | सवारी लादना, पायदान,<br>छत पर, बोनट पर या<br>गाड़ी के बाहर लटकाकर<br>चलना |  |  |
|--|---|--|--|

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा सगंत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के है0कां0 (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रविष्टियां की जाती हैं जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती हैं। लाल रंग की प्रति को न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों को निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

### **3.3.6 स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया**

#### **3.3.6.1 एफ0आर0ओ0 (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) के संबंध में**

जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एफ0आर0ओ0 होते हैं जिनके पाक/बांग्लादेश व विदेशी नागरिकों के संबंध में अलग-अलग कर्तव्य हैं।

#### **(अ) विदेशी शाखा / विदेशी नागरिकों के संबंध में :-**

पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक विदेशी कहलाते हैं। विदेशी नागरिकों के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विदेशी पंजीकरण अधिकारी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में विदेशी नागरिक 02 प्रकार के बीजा अवधि पर आते हैं। एक तो 180 दिन के कम के बीजा पर, दूसरे 180 दिन के अवधि के अधिक के बीजा पर विदेशी जो आते हैं उनका पंजीकरण निम्न प्रकार होता है।

- (1) 180 दिन से कम का बीजा लेकर जनपद में आये विदेशियों का पंजीकरण ही होता है केवल सूचना विदेशियों द्वारा या जिनके यहां ठहरे हैं, के द्वारा दी जाती है।
- (2) 180 दिन से अधिक के बीजा अवधि पर आये विदेशियों का 14 दिवस के अन्दर पंजीकरण होता है जिसकी सूचना गृह मंत्रालय नई दिल्ली व पुलिस अधीक्षक(एफ0), विंशां अभिंवि० उ०प्र० को प्रेषित की जाती है। विदेशियों के निवास वृद्धि का अधिकार भी एफ.आर.ओ. में निहित होता है।

#### **(ब) पाकिस्तानी / बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में :-**

पाक/बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में एफ0आर0ओ0 सिविल अथॉरिटी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में आये हुए पाक नागरिकों का पंजीकरण करके ठहरे हुए अवधि में उनके

निगरानी कराते हुए समय से पाक रवाना करने की जिम्मेदारी भी सिविल अथारिटी/एस0एस0पी0 की होती है। पाक/बी0डी0 नागरिकों की वीजा वृद्धि करने के संबंध में सभी अधिकार शासन को प्रदत्त है। सिविल अथारिटी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करने पर एल0टी0वी0 पर रह रहे पाक नागरिकों को इक्सटेन्सन शासन स्तर पर प्राप्त होता है वर्तमान में एस0टी0वी0 पर (180 दिन से कम) आये हुए पाक नागरिकों की वीजा वृद्धि पर शासन द्वारा रोक लगायी गयी है। पाक/विदेशी मामलों से संबंधित कार्यवाही एल0आई0यू0 कार्यालय में स्थिति पाक/विदेशी शाखा से सम्पादित की जाती है जिसमें प्रभारी तौर पर एक उ0नि0 की नियुक्ति होती है।

### **3.3.6.2 पासपोर्टः—**

**(अ) कार्यवाही का चरण :—** पासपोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्रों को निम्न स्थानों पर जमा कर सकते हैं।

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय लखनऊ।
2. कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर।

जमा आवेदन पत्रों को सबंधित जनपद के पुलिस प्रमुख को प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात संबंधित जनपद के पुलिस अधिकारियों (उ0नि0 व है0कां0(प्रो0)) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के एक प्रति जिसमें आवेदन करने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक विवरण अंकित होते हैं, की जांच की जाती है तथा वैयक्तिक विवरण पत्र के दूसरे प्रति को आतंकवादी व अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के विषय में जानकारी करने हेतु अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ प्रेषित किया जाता है। अभि0 मुख्यालय से प्राप्त जांच आख्या तथा जनपद के थानों व एल0आई0यू0 से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर एक अलग आख्या बनाकर नोडल अधिकारी (जी0ओ0) के हस्ताक्षर द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ या जिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित किया जाता है। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त जांच आख्या के आधार पर वरीयतानुसार पासपोर्ट जारी किये जाते हैं जो डाकखाना के माध्यम से आवेदक को प्राप्त कराये जाते हैं।

**(ब) कार्यवाही किसके द्वारा अपेक्षितः—** आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात निम्न स्तर पर कार्यवाही होती है।

- (1) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित जनपदों के पुलिस प्रभारियों को वैयक्तिक विवरण पत्र जांच हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।
- (2) जनपद पुलिस/एल0आई0यू0/अभिसूचना मुख्यालय द्वारा जांच की जाती है।
- (3) जांच आख्या नोडल अधिकारी (जी0ओ0) के हस्ताक्षर से पासपोर्ट कार्यालय प्रेषित की जाती है।

### **(स) कार्यवाही की अवधि:—**

जनपद में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पुलिस/अभिसूचना जांच रिपोर्ट 20 दिन के अन्दर पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किये जाने का निर्देश है। इसके पश्चात् पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वरीयता के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाने का प्राविधान है।

### **3.3.7 शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया :—**

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के परिपत्र संख्या 2/98 दिनांक 14.10.98 के अनुसार)

| क्र0<br>सं0 | कार्य   | किसके स्तर से<br>कार्यवाही अपेक्षित        | समय अवधि                                 |
|-------------|---|--|--|
| 1           | जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति                        | अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण              | कार्य दिवस/कार्यालय अवधि में किसी भी समय |
| 2           | संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना             | संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा | 15 दिवस में                              |
| 3           | डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के संबंध में जांच किया जाना             | प्रभारी डीसीआरबी                           | 03 दिवस में                              |
| 4           | संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच किया जाना                                    | संबंधित क्षेत्राधिकारी                     | 06 दिवस में                              |
| 5           | अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण द्वारा जांच किया जाना                             | अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण              | 06 दिवस में                              |
| 6           | जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेंस प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना | संबंधित कां0 द्वारा                        | अविलम्ब                                  |

शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये आवेदक संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र देता है, थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

### 3.3.8 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया:-

#### 3.3.8.1 प्राइवेट वेरीफिकेशन:-

| क्र0<br>सं0 | कार्य   | किसके स्तर से<br>कार्यवाही<br>अपेक्षित | समय अवधि          |
|-------------|---|--|-------------------|
| 1           | आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना | प्रधानलिपिक द्वारा                     | कार्यालय अवधि में |

|   |  |  |             |
|---|--|--|-------------|
| 2 | रित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु0<br>शुल्क के रूप मे लिया जाना | आंकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा | अविलम्ब     |
| 3 | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना                  | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा       | 1 दिवस      |
| 4 | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना                         | संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा      | 06 दिवस में |
| 5 | एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना                            | क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा        | 06 दिवस में |
| 6 | चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना                                      | निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा         | 01 दिवस     |

### 3.3.8.2 ठेकेदारी वेरीफिकेशन:-

| क्र0 सं0 | कार्य   | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित       | समय अवधि          |
|----------|---|--|-------------------|
| 1        | जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त | प्रधानलिपिक द्वारा                     | कार्यालय अवधि में |
| 2        | चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20रु0 शुल्क के रूप मे लिया जाना           | आंकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा | अविलम्ब           |
| 3        | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना                         | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा       | अविलम्ब           |
| 4        | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना                                | संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा      | 07 दिवस में       |
| 5        | संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति / असंस्तुति करना          | संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा          | 07 दिवस में       |
| 6        | एल0आई0यू0 द्वारा जांच व   | क्षेत्राधिकारी                         | 07 दिवस में       |

|   |  |                                |         |
|---|--|--------------------------------|---------|
|   | सत्यापन किया जाना                        | एल0आई0यू0 द्वारा               |         |
| 7 | चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना | निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा | अविलम्ब |

**4 कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड**

**4.1 जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड।**

| क्र0सं0 | कार्य   | कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड   |
|---------|---|--|
| 1       | अनुसंधान—विवेचना  | दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप समयावधि में   |
| 2       | थानो पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही कराना                                  | 07 दिवस  |
| 3       | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाच करके आवश्यक कार्यवाही करना।            | 15 दिवस  |
| 4       | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना | 12 दिवस  |
| 5       | फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण   | 15 दिवस  |
| 6       | पासपोर्ट की जांच  | ड0प्र0 शासन के पत्र सं0 616भा / छ: वीजा अनुभाग—4—2005—17 / 2 / 64 / 99 दिनांक 21.10.2005 के अनुसार 20 दिवस में |
| 7       | शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया जाना   | 30 दिवस  |
| 8       | प्राइवेट वेरीफिकेशन   | 14 दिवस  |
| 9       | पुलिस वेरीफिकेशन  | 6 दिवस   |
| 10      | सर्विस वेरीफिकेशन   | 6 दिवस   |
| 11      | मिलीट्री वेरीफिकेशन   | 6 दिवस   |
| 12      | ठेकेदारी वेरीफिकेशन   | 21 दिवस  |

#### 4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्तः—

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये पूर्ण सम्मान करना।
2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव हृदय में रखना।
9. प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
12. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
13. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

#### 4.3 कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व

अभिलेखः—

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| क्र0सं0 | अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम    |
| 1       | पुलिस अधिनियम 1861                  |
| 2       | भारतीय दण्ड संहिता 1861             |
| 3       | दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973          |
| 4       | साक्ष्य अधिनियम 1872                |
| 5       | आर्स एक्ट 1959                      |
| 6       | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955   |
| 7       | अनु0जाति व अनु0जनजाति0 अधिनियम 1989 |

|    |   |
|----|---|
| 8  | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949                            |
| 9  | आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (उपरोक्त संशोधन अधिनियम 1978)           |
| 10 | चोर बाजारी नियम 1950 और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980          |
| 11 | खाद्य अपमिश्रण नियम 1954  |
| 12 | उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986                                     |
| 13 | पशु अतिचार अधिनियम 1861   |
| 14 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988                                    |
| 15 | बन्दी अधिनियम 1900  |
| 16 | सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867  |
| 17 | किशोर न्याय अधिनियम 1986  |
| 18 | दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961  |
| 19 | राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980                                    |
| 20 | स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985                     |
| 21 | स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 |
| 22 | बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930                                  |
| 23 | लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980                           |
| 24 | विस्फोटक अधिनियम 1884   |
| 25 | विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908                                      |
| 26 | कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984                                     |
| 27 | अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958                                     |
| 28 | अनौतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956                                |
| 29 | महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशेष अधिनियम 1986                      |
| 30 | भारतीय वन अधिनियम 1927  |
| 31 | वन संरक्षण अधिनियम 1980   |
| 32 | विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004                      |
| 33 | बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955                        |
| 34 | विष अधिनियम 1919  |
| 35 | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993                                  |
| 36 | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 1994                   |
| 37 | रेल अधिनियम 1989  |
| 38 | रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957                                     |
| 39 | रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कर्बजा) अधिनियम 1966                   |
| 40 | पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966                     |
| 41 | पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922                                  |
| 42 | राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952        |
| 43 | केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995                       |
| 44 | ब्याज अधिनियम 1978  |

|    |   |
|----|---|
| 45 | उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 |
| 46 | उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970                       |
| 47 | उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999                                  |
| 48 | उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970                     |
| 49 | उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976                         |
| 50 | उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948         |
| 51 | उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983                 |
| 52 | उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन                                   |
| 53 | उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979                    |
| 54 | उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944                        |
| 55 | उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील     |
| 56 | उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन और अपील नियमावली) 1999         |
| 57 | उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955                           |
| 58 | उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964                          |
| 59 | उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964                                |
| 60 | उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964                               |
| 61 | उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग अधिनियम 1994                           |
| 62 | सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000                                 |
| 63 | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005                                    |
| 64 | उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल                              |
| 65 | वित्तीय हस्त पुस्तिका   |
| 66 | समय—समय पर निर्गत शासनादेश                                      |
| 67 | उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश             |

इसके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्तात् विनियमित करती हैं।

### 5:- कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख

|         |  |
|---------|--|
| क्र0सं0 | अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम       |
| 1       | पुलिस अधिनियम 1861                     |
| 2       | भारतीय दण्ड संहिता 1861                |
| 3       | दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973             |
| 4       | साक्ष्य अधिनियम 1872                   |
| 5       | आर्स एक्ट 1959                         |
| 6       | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955      |
| 7       | अनु0जाति व अनु0जनजाति0 अधिनियम 1989    |
| 8       | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 |

|    |   |
|----|---|
| 9  | आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (उपरोक्त संशोधन अधिनियम 1978)           |
| 10 | चोर बाजारी नियम 1980 और आवश्यक वस्तु प्रदेश अधिनियम 1980          |
| 11 | खाद्य अपमिश्रण नियम 1954  |
| 12 | उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986                                     |
| 13 | पशु अतिचार अधिनियम 1861   |
| 14 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988                                    |
| 15 | बन्दी अधिनियम 1900  |
| 16 | सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867  |
| 17 | किशोर न्याय अधिनियम 1986  |
| 18 | दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961  |
| 19 | राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980                                    |
| 20 | स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985                     |
| 21 | स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 |
| 22 | बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930                                  |
| 23 | लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980                           |
| 24 | विस्फोटक अधिनियम 1884   |
| 25 | विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908                                      |
| 26 | कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984                                     |
| 27 | अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958                                     |
| 28 | अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956                                |
| 29 | महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशेष अधिनियम 1986                      |
| 30 | भारतीय वन अधिनियम 1927  |

इसके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती हैं।

#### **6:-विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी**

##### **6.1 जनपद पुलिस के विभिन्न कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख**

जनपद पुलिस में विभिन्न कार्यालयों में निम्नलिखित अभिलेख रखे जाते हैं –

| क्रमांक<br>संख्या | अभिलेख की<br>प्रकृति   | उपलब्ध सूचना का<br>विवरण  | इकाई / शाखा<br>जहाँ उपलब्ध<br>होगी | अवधि जब तक<br>उपलब्ध होगी |
|-------------------|------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|
| 1                 | प्रथम सूचना<br>रिपोर्ट | अपराधों के संबंध<br>में दी गई <sup>1</sup><br>सूचनाएं एवं<br>विवेचक के संबंध<br>में | सभी पुलिस<br>थानों पर              | तीन साल                   |

|   |  |   |                                  |  |
|---|--|---|----------------------------------|--|
| 2 | दैनिकी सामान्य                                 | सभी अभियुक्तों की गिरफतारी पुलिस अधिकारी / कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण | सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में | एक साल थाने पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में |
| 3 | सभी स्टैण्डिंग आर्डर                           | पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिकारी / कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण            | सभी शाखा व थानों पर              | स्थायी रूप से रख जाएगा राजपत्रित अधिकारों के आदेश पर ही नष्ट होगी  |
| 4 | भगोड़ा (मफरूर) रजिस्टर                         | सभी फरार अपराधियों का विवरण   | सभी थानों पर                     | 5 वर्ष   |
| 5 | रोकड़ बही                                      | धनराशि की आमद व खर्च का विवरण   | सभी थाने / पुलिस लाइन में        | एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस ऑफिस रिकार्ड रूम में    |
| 6 | आरोप पत्र                                      | अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट  | सभी पुलिस थाने पर                | एक साल   |
| 7 | चिक खुराक                                      | अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है                             | सभी थाने पर                      | तीन साल  |
| 8 | 356 दोप्र०सं० के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर | उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण  | ..                               | जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो                           |

|    |   |  |                            |   |
|----|---|--|----------------------------|---|
| 9  | 432 द०प्र०सं० के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर | “  | “                          | “   |
| 10 | गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट   | थानाक्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना | “                          | एक साल                                      |
| 11 | अपराध रजिस्टर   | थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण                            | सभी थाने पर                | पांच साल                                    |
| 12 | चौकीदारों का अपराध नोट बुक                                      | चौकीदार के ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण                              | सूची चौकीदारों के पास      | चौकीदार को जब तक नई नोट बुक प्रदान न की जाए |
| 13 | ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर न० ८)                              | उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण                              | सभी थानों पर               | स्थायी रूप में                              |
| 14 | डिफाल्टर रजिस्टर  | कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का उल्लेख                   | सभी थानों/ पुलिस लाइन में  | एक साल पूर्ण होने के बाद                    |
| 15 | केस डायरी   | विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण                                     | सभी थानों/ विवेचकों के पास | पांच साल                                    |
| 16 | अन्तिम रिपोर्ट  | अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट                               | सभी थाने पर                | एक साल                                      |
| 17 | अंगुष्ठ छाप रजिस्टर   | अपराधियों का नाम पता जिसका अंगुष्ठ छाप लिया गया है।                    | सभी थाने पर                | स्थानी रूप में                              |
| 18 | चिक गैरदस्तन्दाजी   | अहस्तक्षेपीय अपराधों   | “                          | तीन साल                                     |

|    |                                       | की सूचक  |                            |                           |
|----|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 19 | गिरोह रजिस्टर                         | पजीकृत गैगो का विवरण   | सभी थाने पर व डीसीआरबी में | पूर्ण होने के पांच साल तक |
| 20 | मरम्मत रजिस्टर                        | मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण                       | सभी थानों पर               | दो साल                    |
| 21 | जांच पर्ची 'अ'                        | थाना क्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र | „                          | तीन साल                   |
| 22 | जांच पर्ची 'ब'                        | थाना क्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के लिये जारी पत्र     | „                          | „                         |
| 23 | सूची हिस्ट्रीशीट                      | दुराचारियों का विवरण   | „                          | स्थायी रूप से             |
| 24 | पंचायतनामा जिल्द                      | अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण                                   | सभी थानों पर               | एक साल                    |
| 25 | निरीक्षण पुस्तिका                     | निरीक्षण का विवरण  | सभी थानों पर व शाखाओं में  | पांच साल                  |
| 26 | माल मसरुका रजिस्टर                    | चोरी/लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण                             | सभी थानों पर               | पांच साल                  |
| 27 | रिमाण्ड शीट पु0 प्रपत्र               | अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र                             | सभी थानों पर               | एक साल                    |
| 28 | मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका | मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख                      | सभी थाने पर                | सम्पूर्णता से 5 साल तक    |
| 29 | 109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही        | संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु                               | „                          | दो वर्ष                   |
| 30 | 110 सीआरपीसी के अन्तर्गत              | अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने                                    | „                          | ,                         |

|    | कार्यवाही                       | हेत   |                    |   |
|----|---------------------------------|---|--------------------|---|
| 31 | थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका   | क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें                                   | „                  | स्थाई   |
| 32 | परिपत्र सचू नाओ की फाइल         | समस्त परिपत्र   | सभी कार्यालयों में | किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदेश तक |
| 33 | परिपत्र अनुदेशों की फाइल        | परिपत्रों संबंधी निर्देश  | „                  | „   |
| 34 | अपराधी जनजातियों का रजिस्टर     | अपराधियों जनजातियों के संबंध में                                | समस्त थानों पर     | उनके मृत्यु तक                                      |
| 35 | सक्रिय अपराधी रजिस्टर           | क्षेत्राधिकारी द्वार अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची | „                  | निगरानी उचित समझे जाने तक                           |
| 36 | आर्डर बुक प्रार्थना पत्र        | प्रार्थना पत्रों की सूची  | „                  | 5 वर्षों तक   |
| 37 | आर्डर बुक न्यायालय              | कोर्ट प्रोसीजर की सूची  | „                  | 5 वर्षों तक   |
| 38 | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची                         | „                  | 5 वर्षों तक   |
| 39 | भवन रजिस्टर                     | थाने की खसरा खतौनी व भवनों के संबंध में।                        | „                  | स्थायी  |
| 40 | गुमशुदगी रजिस्टर                | गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।                                | „                  | स्थायी  |
| 41 | गिरप्तारी रजिस्टर               | गिरप्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना                          | „                  | 5 वर्षों तक   |
| 42 | जमानत रजिस्टर                   | दी जाने वाली जमानतों का विवरण                                   | „                  | 5 वर्षों तक   |
| 43 | काज लिस्ट                       | न्यायालय द्वारा   | „                  | 5 वर्षों तक   |

|    |                           |  |                          |                |
|----|---------------------------|--|--------------------------|----------------|
|    | रजिस्टर                   | अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण                        |                          |                |
| 44 | जनशिकायत रजिस्टर          | थाना कार्यालय/अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र | समस्त थानों/कार्यालय में | 2 वर्ष के लिये |
| 45 | किरायेदार सत्यापन रजिस्टर | क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में                 | समस्त थानों पर           | स्थायी         |
| 46 | नियुक्ति रजिस्टर          | थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में                   | „                        | स्थायी         |
| 47 | अवकाश रजिस्टर             | आकस्मिक अवकाशों का विवरण                                       | समस्त कार्यालयों में     | 1 वर्ष तक      |
| 48 | सर्विस बुक/चरित्र पंजिका  | समस्त रैकां के कर्मचारियों के सेवा इतिहास                      | प्रधान लिपिक कार्यालय    | स्थायी         |
| 49 | कैशबुक/पे-बिल रजिस्टर     | समस्त भुगतानों के लेन-देन के संबंध में                         | आंकिक शाखा               | स्थायी         |
| 51 | स्टाक रजिस्टर             | सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण                         | पुलिस लाइन               | स्थायी         |

## 6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखः—

| क्र0सं0 | अभिलेख कीप्रकृति | उपलब्ध सूचना का विवरण                                   | इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी  | अवधि जब तक उपलब्ध होगी |
|---------|------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1       | अपराध रजिस्टर    | सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक             |

|   |                                 | विवरण   |                             |   |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 2 | जेड रजिस्टर                     | केस डायरियो को न्यायलय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | स्थायी                                    |
| 3 | आर्डर बुक प्रार्थना पत्र        | प्रार्थना पत्रों की सूची                                    | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक                                |
| 4 | परिपत्र सूचनाओं की फाइल         | समस्त परिपत्र   | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | अधिकाहरी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेष तक |
| 5 | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची                     | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक                                |
| 6 | अवकाश रजिस्टर                   | आकस्मिक अवकाशों का विवरण                                    | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 01 वर्ष तक                                |
| 7 | विषेष अपराध पत्रावलियां         | विषेष अपराधों का विवरण                                      | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | स्थायी                                    |
| 8 | जांच पत्रावलियां                | षिकायतों की जांच के सम्बन्ध में                             | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक                                |

### 6.3 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

| क्र0सं0 | अभिलेख कीप्रकृति                | उपलब्ध सूचना का विवरण                   | इकाई/शाखा जहां उपलब्ध होगी     | अवधि जब तक उपलब्ध होगी                    |
|---------|---------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 1       | आर्डर बुक प्रार्थना पत्र        | प्रार्थना पत्रों की सूची                | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 05 वर्ष                                   |
| 2       | परिपत्र सूचनाओं की फाइल         | समस्त परिपत्र                           | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | अधिकाहरी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेष तक |
| 3       | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 5 वर्ष तक                                 |
| 4       | अवकाश रजिस्टर                   | आकस्मिक                                 | अपर पुलिस                      | 1 वर्ष तक                                 |

|   |                  | अवकाशों का विवरण                                       | अधीक्षक कार्यालय में           |        |
|---|------------------|--|--------------------------------|--------|
| 5 | नियुक्ति रजिस्टर | क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | स्थायी |
| 6 | जांच पत्रावलियां | षिकायतों की जांच के सम्बन्ध में                        | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 5 वर्ष |

#### 6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखः—

| क्र0सं0 | अभिलेख कीप्रकृति                         | उपलब्ध सूचना का विवरण                        | इकाई/शाखा जहां उपलब्ध होगी      | अवधि जब तक उपलब्ध होगी                    |
|---------|--|--|---------------------------------|---|
| 1       | राजपत्रित धिकरियों के गोपनीय सेवा अभिलेख | राजपत्रित धिकरियों के गोपनीय सेवा अभिलेख     | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | स्थायी                                    |
| 2       | हिस्ट्रीषीट इन्डेक्स                     | जनपद के दुराचारियों का विवरण                 | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | स्थानी                                    |
| 3       | पुरस्कार रजिस्टर                         | जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 05 वर्ष                                   |
| 4       | आर्डर बुक प्रार्थन पत्र                  | प्रार्थना पत्रों की सूची                     | षिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में    | 5 वर्ष                                    |
| 5       | परिपत्र सूचनाओं की फाइल                  | समस्त परिपत्र                                | प्रधान लिपिक कार्यालय           | अधिकाहरी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेष तक |
| 6       | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र          | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची      | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 5 वर्ष                                    |
| 7       | अवकाश रजिस्टर                            | आकस्मिक अवकाशों का विवरण                     | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 1 वर्ष                                    |
| 8       | नियुक्ति रजिस्टर                         | क्षेत्र के थानों पर नियुक्त                  | वाचक पुलिस अधीक्षक              | स्थायी                                    |

|    |                                  |   |                              |        |
|----|----------------------------------|---|------------------------------|--------|
|    |                                  | कर्मचारियों के  |                              |        |
| 9  | सर्विस<br>बुक / चरित्र<br>पंजिका | समस्त रेंको के<br>कर्मचारियों के<br>सेवा इतिहास           | प्रधान लिपिक<br>कार्यालय में | स्थायी |
| 10 | कैष<br>बुक / पे-बिल<br>रजिस्टर   | समस्त भुगतानों<br>के<br>लेन-देन के<br>सम्बन्ध में         | आंकिक शाखा                   | स्थायी |
| 11 | आकस्मिकता<br>निधि<br>रजिस्टर     | आकस्मिकता<br>निधि पर भारित<br>व्यायों के<br>सम्बन्ध में   | आंकित शाखा                   | स्थायी |
| 12 | स्टाफ रजिस्टर                    | सामान्य भण्डार<br>की मदों का क्रय<br>व वितरण              | पुलिस लाइन                   | स्थायी |
| 13 | हिन्दी आदेष<br>पुस्तिका          | समस्त आदेश<br>जिनका प्रभाव<br>वित्तीय भार पर<br>पड़ता है। | पुलिस लाइन                   | 40 वष  |

#### 7. जनता की परामर्शदात्री समितियां:-

जनता की परामर्शदात्री समितियां जो संगठन में अन्तर्निहित हैं।

#### 8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय :-

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं हैं।

#### 9. अधिकारीयों तथा कर्मचारीयों की टेलीफोन डायरेक्ट्री

| पद पुलिस अधिकारीगण                  | कार्यालय नं०              | सी०य०जी०मो०न० |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| पुलिस अधीक्षक                       | 00512285052 एंव<br>285044 | 9454400269    |
| अपर पुलिस अधीक्षक                   | 05612285110               | 9454401046    |
| क्षेत्राधिकारी / यातायात /<br>आकिंक |                           | 9454457860    |
| क्षेत्राधिकारी सदर                  |                           | 9454401254    |
| क्षेत्राधिकारी नगर                  |                           | 9454401253    |

|                                      |  |             |
|--------------------------------------|--|-------------|
| क्षेत्राधिकारी<br>शिकोहाबाद / लाइन्स |  | 94545401256 |
| क्षेत्राधिकारी जसराना                |  | 9454401257  |
| क्षेत्राधिकारी टूण्डला / काइम        |  | 9454401255  |
| क्षेत्राधिकारी सिरसांगज              |  | 9454418968  |
| प्रतिसार निरीक्षक                    |  | 9454402358  |
| प्र०नि० कोतवाली उत्तर                |  | 9454403363  |
| प्र०नि० कोतवाली दक्षिण               |  | 9454403364  |
| प्र०नि० कोतवाली टूण्डला              |  | 945403379   |
| प्र०नि० कोतवाली षिकोहाबाद            |  | 9454403377  |
| प्र०नि० कोतवाली जसराना               |  | 9454403365  |
| प्र०नि० महिला थाना                   |  | 9454404763  |
| प्र०नि० नारखी                        |  | 9454403369  |
| प्र०नि० फरिहा                        |  | 9454403361  |
| प्र०नि० मक्खनपुर                     |  | 9454403368  |
| थानाध्यक्ष सिरसांगज                  |  | 9454403378  |
| थानाध्यक्ष नसीरपुर                   |  | 9454403372  |
| थानाध्यक्ष नगला खंगर                 |  | 9454403370  |
| थानाध्यक्ष रामगढ                     |  | 9454403374  |
| थानाध्यक्ष रसूलपुर                   |  | 9454403375  |
| थानाध्यक्ष पचोखरा                    |  | 9454403373  |
| थानाध्यक्ष एका                       |  | 9454403361  |

|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| थानाध्यक्ष नगला सिधी  |  | 9454403371 |
| थानाध्यक्ष लाइनपार    |  | 9454403367 |
| थानाध्यक्ष बसई मो0पुर |  | 9454403360 |
| थानाध्यक्ष मटसैना     |  | 9454403376 |
| थानाध्यक्ष खैरगढ      |  | 9454403366 |

**10. अधिकारीयों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/परितोषिकः—**

| क्र0सं0 | पद   | मासिक वेतन |
|---------|--|------------|
| 1       | राजपत्रित अधिकारी का मासिक वेतन  |            |
| 2       | सषस्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन |            |
| 3       | रेडियों शाखा अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन              |            |
| 4       | फायर सर्विस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन               |            |
| 5       | लिपिक वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन              |            |
| 6       | परिवहन शाखा अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन               |            |
| 7       | स्थानीय अभिसूचना अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन          |            |

**11. पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद का बजटः—**

| क्र0सं0 | लेखा शीर्षक                           | वित्तीय वर्ष—2016–2017 हेतु प्राप्त अनुदान |
|---------|---------------------------------------|--|
| 1       | वेतन, महगाई एवं अन्य भत्ते            |  |
| 2       | यात्रा भत्ता                          |  |
| 3       | कार्यालय व्यय—अन्य छुद्र आकस्मिक व्यय |  |
| 4       | लेखन सामग्री                          |  |
| 5       | अन्य व्यय(पारितोषिक)                  |  |
| 6       | विद्युत पर व्यय                       |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 7  | मजदुरी कार्यालय फर्नीटउपकरण, टेलीफोन पर व्यय |  |
| 8  | पेट्रोल / डीजल पर व्यय                       |  |
| 9  | अन्यव्यय—पुलिस कल्याणके लिये विशिष्ट अनुदान  |  |
| 10 | कम्प्यूटर / अनुरक्षण                         |  |
| 11 | प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय     |  |
| 12 | साइबर क्राइम प्रशिक्षण एवं उपकरण पर व्यय     |  |

#### 11.1 लेखाधीर्षक 2055 पुलिस आयोजनेत्तर 109 जिला पुलिस 07 जिला पुलिस (थाना):—

| क्र0सं0 | मानक मद                   | वित्तीय वर्ष—2016—2017 हेतु प्राप्त अनुदान |
|---------|---------------------------|--|
| 1       | मजदूरी                    |  |
| 2       | कार्यालय व्यय             |  |
| 3       | लेखन सामग्री पर व्यय      |  |
| 4       | कार्यालय फर्नीचर          |  |
| 5       | टेलीफोन पर व्यय           |  |
| 6       | पेट्रोल डीजल पर व्यय      |  |
| 7       | मोटर गाड़ीयों का अनुरक्षण |  |

#### 11.2 लेखाधीर्षक 2055 पुलिस आयोजनेत्तर 800—अन्य व्यय—05—लोक सभा निर्वाचन:—

| क्र0सं0 | मानक मद        | वित्तीय वर्ष—2016—2017 हेतु प्राप्त अनुदान |
|---------|----------------|--|
| 1       | कार्यालय व्यय  |  |
| 2       | लेखन सामग्री   |  |
| 3       | अन्य व्यय      |  |
| 4       | टेलीफोन व्यय   |  |
| 5       | यात्रा भत्ता   |  |
| 6       | पेट्रोल / डीजल |  |

#### 12. सक्षिङ्गी कार्यक्रम के निस्पादन का ढंग:—

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

#### 13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण:—

शून्य

#### 14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता:—

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

#### 15. अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को पदत्त सुविधायें

| क्र0सं0 | कार्य  | कार्यवाही किसके स्तर से   | समयावधि  |
|---------|--|---|--|
| 1       | सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना   | पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद   | प्रातः 10:00बजे से शाम 17:00 बजे तक(राजकीय अवकाश को छोड़कर)                  |
| 2       | सूचना निरीक्षण करने का स्थान   | उपरोक्त   | उपरोक्त  |
| 3       | सूचना प्रदान किये जाने का स्थान  | उपरोक्त   | विलम्ब 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 48 घण्टे |
| 4       | सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराषि(10रु0 प्रथम घण्टाय, प्रथम घण्टा के पश्चात 5रु0 प्रति 15 मिनट, सूचना के लिये रु0—50/-प्रति सीडी तथा छपे दस्तावेजो के वास्तविक लागत पर) | पुलिस अधीक्षक कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैकर्स चेक / पोस्टल आर्डर | उपरोक्त  |
| 5       | सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राषि का विवरण(10रु0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी रेखा के निचे के व्यक्तियों को निःषुल्क)   | उपरोक्त   | उपरोक्त  |

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250रु प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (2500रु अनधिक) भी देय होगा।

#### 16. लोक सूचना अधिकारीयों के पद नाम:-

जनपद अम्बेडकरनगर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारीयों की नियुक्ति निम्नलिखित प्राकार से की गयी है।

| क्र0सं0 | राज्य जनसूचना अधिकारी नाम व पद | राज्य सहायक जनसूचना अधिकारी | प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|---------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

|   |  | का नाम व पद  |  |
|---|--|--|--|
| 1 | अपर पुलिस अधीक्षक,<br>फिरोजाबाद<br>0512—285110<br>9454401046 | पुलिस उपाधीक्षक<br>कार्यालय, फिरोजाबाद<br>9454401254 | पुलिस अधीक्षक,<br>फिरोजाबाद<br>0512285110<br>945440269 |

17. अन्य कोई विहित सूचना— शून्य

(महेन्द्र सिंह)  
अपर पुलिस अधीक्षक  
फिरोजाबाद